### परिपत्र सं. 231

# विषय: 'शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी)' की अनुसूची 'ख' 'स्थापना और सामान्य मामले'की मद सं. 23 और 24 के विषय में संशोधन।

एफएमसीओडी ने दिनांक 26 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 159 वीं (स्थगित) बैठक में अनुसूची ख में "शक्तियों का प्रत्यायोजन"- स्थापना और सामान्य मामले की मद संख्या 23 और 24 में निम्नानुसार संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है:

मद संख्या 23 और 24 की मौजूदा प्रविष्टियाँ क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित की जाएंगी:

## मद संख्या 23

मूल रूप से राजस्व व्यय से प्रभारित अप्रचलित, अधिशेष या अप्रयोज्य मदों के निपटान को मंजूरी देने की शक्ति				
शाखा प्रबंधक/मुख्यालय में प्रभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ	सामग्री को शाखा प्रबंधक/मुख्यालय में		
जो उप महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो,		प्रभागाध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा		
जिसे निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन के		निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते ह्ए और		
साथ अधिसूचित किया गया है ।		स्थानीय वित्त सहयोगी की सहमति से		
	9	अप्रचलित / अधिशेष आदि घोषित किया जाना		
		चाहिए।		

## मद संख्या 24

	मूल रूप से प्ंजीगत व्यय से प्रभारित अप्रचलित, अधिशेष या अप्रयोज्य फर्नीचर व फिक्चर्स, कार्यालयी सामान,						
	संयंत्र व मशीनरी, आदि के निपटान को मंजूरी	व मशीनरी, आदि के निपटान को मंजूरी देने की शक्ति।					
	शाखा प्रबंधक/मुख्यालय में प्रभागाध्यक्ष जो	पूर्ण शक्तियाँ	सामग्री को शाखा प्रबंधक/मुख्यालय में				
	उप महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो, जिसे		प्रभागाध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा				
	निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन के साथ		निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए और				
	अधिसूचित किया गया है।		स्थानीय वित सहयोगी की सहमति से अप्रचलित				
/ अधिशेष आदि घ		/ अधिशेष आदि घोषित किया जाना चाहिए।					

(द्रीपक सीएस) कंपनी सचिव

प्रतिलिपि: सभी संबंधित

#### CIRCULAR NO. 231

Subject: Amendment of 'Delegation of Powers (DOP)' in respect of Item nos. 23 & 24 of Schedule 'B': 'Establishment and General Matters'

FMCOD in its 159<sup>th</sup> (Adjourned) meeting held on March 26, 2019 has approved the amendment in Item nos. 23 & 24 of Schedule B: "Delegation of Power - Establishment and General Matters" as given below:

The existing entries at Item Nos. 23 and 24 shall be substituted with the following entries, respectively:

#### ITEM NO. 23

Power to sanction disposition originally charged to Rev	osal of obsolete, surplus enue Expenditure	s or unserviceable items
Branch Manager/ Divisional Head at C.O. not below the rank of DGM to be notified with the approval of Director (P)		The material should be declared obsolete/surplus etc. by a committee constituted by the Branch Manager/ the Divisional Head at C.O. by adhering to due process and with concurrence of the local Associate Finance.

#### ITEM NO. 24

Power to sanction disposal of obsolete, surplus or unserviceable furniture & fixture, other office equipment, plants & machinery, etc. originally charged to				
Capital Expenditure.				
Branch Manager/	Full Powers	The material should be		
Divisional Head at C.O.		declared obsolete/surplus		
not below the rank of DGM		etc. by a committee		
to be notified with the		constituted by the Branch		
approval of Director (P)		Manager/the Divisional		
approvar or zinceror (r )		Head at C.O. by adhering to		
		due process and with		
		concurrence of the local		
*		Associate Finance.		

(Deepak C S)
Company Secretary

To: All Concerned